Oral Answers

SHRI KRISHNA CHANDRA HAL-DER: The Minister has stated that these welfare centres would be in the nature of recreation centres for agricultural labour. As he is aware, in West Bengal the agricultural labour is not getting the minimum wage. What machinery has the Government got to see that the agricultural fabour is guaranteed the minimum wage in West Bengal?

SHRI RAGHUNATHA REDDY: The implementation of the minimum wage under the Minimum Wages Act comes within the purview of the State Government. In view of the decision **Taken by the Labour** Ministers' Conference, various State Governments have been persuaded to revise their minimum wages and steps are being taken very vigorously to pursue the same.

Development of Villages surrounding Public Sector Steel Plants

*316. SHRI K. M. 'MADHUKAR' Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether some measures are proposed to be taken by the public sector steel plants for development of villages surrounding them; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUKHDEV PRASAD) (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b). The Memorandum of Agreement reached by the Joint Negotiating Committee for the Steel Industry on 30th July, 1975, provides, among other things, that in view of the fact that it has not been possible to provide housing facility to all the employees of the companies and a number of such employees live in bustees and communities around the steel plants, wherever such communities are located in the company area, every effort will be made to improve facilities such as provision of roads, electricity, drinking water, sanitation and public telephone booths in such bustees and communities and some funds will be set aside for this purpose every year. The public sector steel plants also have under their consideration, on an experimental basis, some proposals for the socioeconomic development of some peripheral villages subject to the availability of funds and other resources.

भी कमला निभा "मयुकर" : यह बात जान कर बहुत खुशी हुई है कि इस्वात मंत्रासय ने इस बात को कबूल किया है कि राजकीय क्षेत्र में जो चार इस्गत के कारखाने हैं उनके ग्रगल बगल की वस्तुओं के विकास की म्रावभ्यकता है, इस को ग्राप ने महसूस किया है। तो मैं जानना चाहता है कि भिलाई, रकेला, बोकारो मोर दुर्गापुर इन तमाम इस्रात के कारखानों के ग्रगल बगल के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कोई समग्र योजना बनाई गई है श्रीर उस का मुल्याकन किया गया है कि उस मे कितना धन खर्च होगा ? उसकी परी तफनील कब तक पूरी हो जायेगी ? इन क्षेत्नों के विकास के लिए कोई योजना बनाई गई है या यों ही चलने वाला स्वाभाविक विकास हो रहा है ? मैं जानना चाहता ह इन के विकास के लिए कोई योजनाबद योजना है ?

इत्यात झौर सान मंत्री (भी चन्द्रजीत यादव) : श्रीमन्, ख्याल इस बात का है कि बहत से हमारे जो इस्पात के कारखाने हैं उन के मन्दर बहुन से ऐसे हमारे श्रमिक हैं जो प्रास पास के गांवों से माते हैं । बहुत से ऐसे जी श्रमिक हैं जिन को मभी तक हम मकान नहीं दे पाए हैं। तो ऐसे मजदूर जो झास पास की बस्तियों मे रहते हैं भीर बहां भगर सडक की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, या पढ़ाई लिखाई धीर दवा की सुविधा नहीं है तो उन बस्तियों का भी इस तरह से विकास करें कि हमारे श्रमिकों को जो वहां से झाते हैं किसी तरह की झसुविधा न हो। मुख्य मकसद इस का यह है भीर इसी ख्याल से यह कहा गया है झपने कारखानों को कि वह स बात को देंखें कि जो उनके झास पास के गांव हैं उन के विकास के लिए वे क्या कर सकते हैं, कुछ पैसा उस के लिए लगा सकते हैं तो लगाना चाहिए । इस का ग्रर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि इस्पात के कारखानों के ग्रास पास के विकास की जिम्मेदारी वह अपने ऊपर लेगे, यह मुख्य प से हमारा काम नहीं है लेकिन फिर भी ग्रपने सामाजिक दायित्व को घ्यान में रखते हुए जहा कारखाने के ग्रास पास वह कुछ कर सकते हैं वहा की सुविधा बढ़ाने के लिए तो वहु उन को जरूर करना चाहिए । इसी दुष्टि से रूरकेला के श्रास पास के गांवों के इस तरह के विकास के लिए भनुमानतः 47 लाख 80 हजार की योजना स्वीकृत हुई थी जिस में से यह तय हुन्ना था कि 10 लाख पया तो फौरन कारखाना देगा ग्रीर फिर कोशिश करेंगे कि केन्द्रीय सरकार झौर राज्य सरकार के सहयोग से तथा स्वानीय प्रशासन के सहयोग से हम इस काम को करें। स प्रकार का निर्देशन दिया गया है लेकिन माननीय सदस्य को यह बात नहीं समझ लेनी चाहिए कि तमाम चास पास के इलाके के विकास की जिम्मेदारी हमने ले ली है बल्कि मुख्य प से जहां श्रमिक रहते हैं नहां पर जो कुछ हो सकता है नह करेंचे ।

वी कमला लिख 'वयुकर' : जव झापने इस बात को कबूल किया है कि इस्पात मंत्रालय झास पास के गांवों का विकास करना चाहता है तो उस विकास योजना के मन्तर्गत क्या कोई ऐसी सोजना है जिसके जरिए झगल बगल के गांवों में छो मोटे उद्योग-धंघों का विकास हो सके ग्रीर जो वहां पर वाई प्रोडक्ट निकलते हैं उनसे सम्बन्धित उद्योग-धंघों का विकास हो सके ?

श्री चन्द्र सीत थादव : इस्पात कारखानों के प्रबन्धकों का यह काम नहीं है कि वहां पर छोटे मोटे उद्योग-प्रश्ने विकसित करने की जिम्मेदारी ग्रपने ऊपर चें लेकिन जो कारखानों से इम्पात का प्रोडवशन होता है उसके सम्बन्ध में ग्रगर कोई इडस्ट्रीज लगाते हैं उनको सुविधा मिल सके, उनको कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जो सहयोग हमारी तरफ से दिया जा सकता है वह दिया जायेगा।

भी मान सिंह भौरा: जहां तक मजदूरों को हार्जीमंग फ्रैंपलिटीज देने का सवाल हैं, एक बात हमारी नोटिस में हर जगह झाती है कि ग्रैड्युल्ड कास्टड्स झौर शेड्युल्ड ट्राइब्ज के जो लोग होने हैं उनको किराये पर भी कौई मकान नहीं देता तो क्या मन्त्री जी इस बात कौ घ्यान में रखेंगे कि पहले शेड्युल्ड कास्ट्स झौर शेड्युल्ड ट्राइब्ज के जो एम्पलाईज हैं उनको रहने के लिए जगह दी जाये ?

भी चम्ब्रवीत वादवः जहा तक हाउस एलाटमेंट का सावल है मपने ट्रेड युनियों के नुमाइन्दों के साथ बैठकर कुछ नियम बनाए हैं मौर जो हम मागे करना चाहते है उस पर उनके साथ बैठकर विचार करते हैं मौर हमारे

* *

मह निर्देश हैं कि नीकरों में भीर इस तरह के इंग्रेरे कामों में जो निर्देल वर्गे के सीग हैं, बेड्युस्ड कास्टस भीर सेड्वुस्ड ट्राइंक्स के उनको म्यूलियत दी जाये लेकिन कभी कभी जो दूसरे लोग पहले से काम कर हैं उनको नहीं मिलता है तो कठिंनाई माती है फिर भी इन बातों का ब्यान बाम तौर पर रखा जाता है ।

Extension of Employees' State Insurance Scheme to Labourers

*317. SHRI S. M. BANERJEE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether coverage under the Employees' State Insurance Scheme has steadily expanded; and

(b) whether Government propose to extend the E.S.I. Scheme to unorganised working population such as agricultural labourers, bid: workers, contract labourers, construction workers?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI RAGHUNATHA REDDY): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(b) The Employees' State Insurance Corporation has furnished the following information:---

The agricultural workers employed in workshops in agricultural farms and the contract labour employed in connection with the work of factories/ establishments t_0 which the Employees State Insurance Oct, 1948 already applies and which are situated in the areas where the benefit provisions of the Act are in force, are already coverable under the E.S.I. Scheme. Further, such of the bidi workers as are employed in non-power using factories/establishments and shops, employing 20 or more persons and located in the areas where the benefit provisions of the Act are in force, will also be coverable under the Scheme as and when the provisions of the Act are extended to these classes of establishment by the State Governments under section 1(5) of the ESI, Act. The extension of the Scheme to the other categories of workers in the unorganised and semiorganised sectors of employment, including agricultural labourers, construction workers etc., is not considered feasible for the present, in as much as the organising of medical and other facilities for such workers will present serious difficulties.

SHRI S M BANERJEE: I would like to know whether it is a fact that the ESI scheme has not been extended to even 50 per cent of the workers working in the organised sector and if so, whether there is a plan to extend it further during the Fifth Plan, and if so, the number of vorkers likely to be covered and whether construction workers will also be covered.

RAGHUNATHA REDDY SHRI The ESI scheme is being extended from time to time having regard to the ability of the organisation to deal with the matter and also the industrial organisations to be covered. For the information of the hon Member I may state that after the recent amendment of the Act raising the remuneration of the workers to be covered from Rs. 500 to Rs 1,000, this sector alone consists of nearly 51 lakhs of additional workers, and the total number so far covered is 56 lakhs. In fact, there is an increase of six lakhs workers as a result of this, and the total beneficiaries come to nearly 2.2 crores in India, including the members of the workers' families The scheme is in operation in three central industries, in 15 States and in the Union Territories of Delhi and Pondicherry We are trying our best to cover as many workers as